UPVR010049652026

IN THE COURT OF
Adj F.T.C.II (For trying cases of crime against women)
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sunil Kumar -III)
Sessions Case/379/2026

राज्य बनाम राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली

मु.अ.सं.-267/2025
धारा- 303(2), 317(2), 317(4)भारतीय न्याय संहिता
थाना- लालपुर पाण्डेयपुर, जिला वाराणसी।

आरोप

मैं सुनील कुमार III, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरूद्ध अपराध)सं.-2 वाराणसी आप अभियुक्त **राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली** पर निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूंः-

प्रथमः- यह कि आप अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार स्थान-मढवा प्राथमिक विद्यालय जिला वाराणसी में स्मार्ट सिटि योजनान्तर्गत बच्चों के पानी पीने हेतु विद्यालय में लगा समर्सिबल को चोरी कर लिया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-303(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि आप अभियुक्त द्वारा यह जानते हुये कि यह समर्सिबल चोरी का है, को अपने पास बरकरार रखा एवं आपके कब्जे से दिनांक-04.11.2025 को चोरी किया गया सामान बरामद हुआ। इस प्रकार आप अभियुक्त ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-317(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः- यह कि आप अभियुक्त द्वारा चोरी किया गया समर्सिबल को अभ्यास्तः बिक्रय हेतु व्यापार किया जा रहा था। इस प्रकार आप अभियुक्त ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-317(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.05.31 11:55:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एतदद्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि आपका परीक्षण उक्त धारा में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-01.06.2026

(सुनील कुमार ।।।),
जे.ओ.कोड यू.पी.1826
अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध)सं.-2,वाराणसी।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचरण की मांग की है।

दिनांक-01.06.2026

(सुनील कुमार ।।।),
जे.ओ.कोड यू.पी.1826
अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध)सं.-2,वाराणसी।

Steno-Reena

UPVR010049652026

IN THE COURT OF
Adj F.T.C.II (For trying cases of crime against women)
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sunil Kumar -III)
Sessions Case/379/2026

राज्य बनाम राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली

मु.अ.सं.-267/2025
धारा- 303(2), 317(2), 317(4)भारतीय न्याय संहिता
थाना- लालपुर पाण्डेयपुर, जिला वाराणसी।

दिनांक-01.06.2026

पेश हुआ।

अभियुक्त **राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली** जेल से उपस्थित है।

अभियुक्त राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली के विरूद्ध थाना-लालपुर पाण्डेयपुर जिला-वाराणसी द्वारा मुकदमा अपराध सं.-267/2025 धारा- 303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता के अऩ्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अपना केस प्रारम्भ करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप अन्तर्गत धारा-303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता प्रेषित किया गया है व अभियोजन अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रश्नगत आरोप साबित करेगा।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोप का कोई आधार नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त को आरोपित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन एवं केस डायरी तथा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा-303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता के अऩ्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त **राजू सिंह उर्फ राजू बंगाली** के विरूद्ध धारा-303(2), 317(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण किये जाने की माँग की।

पत्रावली दिनांक-15.06.2026 को वास्ते साक्ष्य पेश हो।

साक्षीगण तलब हो।

दिनांक-01.06.2026

(सुनील कुमार III),
जे.ओ.कोड यू.पी.1826
अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध)सं.-2,वाराणसी।